



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41951/2025

रोहित यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	गौरव तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, विनय कुमार

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्रीमती अनीता सिंह (राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर), और श्री विनय कुमार (प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता) को सुना गया।

यह आवेदक द्वारा दाखिल की गई दूसरी जमानत अर्जी है। वर्तमान आवेदक द्वारा दाखिल की गई

पहली जमानत अर्जी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2025 के आदेश से खारिज कर दी गई थी। यह आदेश आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 10359/2025 (रोहित यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित किया गया था, जिसकी प्रति जमानत अर्जी के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

आवेदक—रोहित यादव ने यह दूसरी जमानत अर्जी इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि विचारण की लंबित अवधि के दौरान, अपराध संख्या 357/2024 (बीएनएस की धारा 109(1), 3(5), 61(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत; थाना—थरावी, जिला—प्रयागराज) में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस दूसरी ज़मानत अर्जी के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प हली ज़मानत अर्जी में दिए गए अपने सभी तर्कों को दोहराया है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा यहाँ पुनः उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, और दिनांक 24.10.2025 को आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए जा चुके हैं; अतः अब आवेदक से हिरासत में और अधिक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस मामले में आठ गवाह हैं और निकट भविष्य में विचारण पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि एक मामले के आपराधिक इतिहास के बारे में, ज़मानत अर्जी के समर्थन में दायर हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 16 में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। काफी देर तक बहस करने के बाद, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद है, और इसलिए आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

विद्वान एजीए ने इसका ज़ोरदार विरोध किया है, लेकिन वे ऊपर बताए गए तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सज़ा की गंभीरता, और सहायक सबूतों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए—लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—ज़मानत का एक मामला बनता है।

तदनुसार, ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है।



उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में शामिल आरोपी-आवेदक, **रोहित यादव** को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं, और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

12 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष

श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।